विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2582 [17/3/2022] परिशिष्ट-2

प्रश्न सं. [क्र. 2582]

प्रपत्र - अ

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2019—भाद्र 8, शक 1941

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2019

क्रमांकः- एफ 19-2/2019/बारह-1.- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ख, के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 23 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रेत, (खनन परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

अध्याय - एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 है।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
   (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

4. छूट.-

(1) पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करनें के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान(लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी :

परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति के मजदूर, सदस्यों, कारीगरों, ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वयं के निवास के निर्माण, मरम्मत, कुँओं के निर्माण व कृषि कार्यों हेतु ग्राम सभा द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 10 घनमीटर रेत का उपयोग किया जा सकेगा।

(3) अनुवांशिक कुम्हारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या ऐसे समूह की सहकारी समिति के सदस्य, जो परम्परागत साधनों से बर्तन, टाइल्स तथा ईंट बनाने में लगे हुए हैं, रायल्टी/प्रशासकीय प्रभार का भुगतान किए बिना ग्राम सभा द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर इस प्रयोजन के लिए सीमांकित एवं चयनित किए गए क्षेत्रों से रेत प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय - दो

नवीन रेत खदानों का सीमांकन, घोषित किया जाना एवं समूह बनाया जाना

5. (1) **रेत खदानों का सीमांकन -** कलक्टर, प्रदेश की नदियों या अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान करेंगे। डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित की जाएगी :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से सीमांकित एवं घोषित रेत खदानों में यथा अपेक्षित इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संशोधन किया जा

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

परिशिष्ट
प्रपत्र -ब

परिशिष्ट-- एक

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2582 की जानकारी

क्र0	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों द्वारा रेत घन मीटर में	राशि (रुपये. में)
1	2	3	4
1	मण्डला	67350	6735000
2	नैनपुर	26752	26752176
3	बिछिया	25383	25383000
4	घुघरी	32722	27580835
5	मवई	10725	14478750
6	मोहगांव	8246000	8246000
7	निवास	5530.65	5530650
8	नारायणगंज	15390	45800
9	बीजाडांडी	4298	8525104
	योग	8434150.65	123277317

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मण्डला

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग